



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कस्वासांभर
पटवार हल्का :- सांभरलेक
भू.अभि.नि. :- सांभरलेक
तहसील :- फुलेरा
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2072-2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 103
खाता संख्या पुराना :- 93

काश्तकार का नाम:-

1. मनसुख रियल्टी हिस्सा- पूर्ण जाति- N/A सा. प्लॉट नम्बर 1, द्वितीय तल, ज्ञान विहार डी. सी. एम. अजमेर रोड जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1323/2196	0.0759	गै.मु.झेरा	0.0759	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2697 31/12/2024रहनमुक्त	
2604/1323	1.1167	बारानी 4	1.1167	1.11	स्वीकृत नामांतरकरण : 2699 03/01/2025बेचान	
2605/1323	1.4629	बारानी 4	1.4629	1.45	स्वीकृत नामांतरकरण : 2700 08/01/2025बेचान	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 2728 24/05/2025विभाजन	

कुल खसरे - 3 2.6555 2.6555 2.5600

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 28-Nov-2025





क्रमांक: LSGCLU90A/2025-26/107383

दिनांक: 10/12/2025

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **MANSUKH REALTY AUTHORIZE PATNER DINESH KUMAWAT** पुत्र श्री **SHIV BHAGWAN** जाति **KUMAWAT**
1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम, तहसील	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	SAMBHAR LAKE, SAMBHAR LAKE	MANSUKH REALTY, OFFICE ADDRESS PLOT NO.1, SECOND FLOOR, GYAN VIHAR, DCM, AJMER ROAD, JAIPUR	2605/1323	14629
कुल				14629

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **10-12-2025** को पारित किया गया है।



Digitally Signed by CHAGANLAL02
Designation : EO/ COMMISSIONER
Date: 2025.12.10 10:18:30 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :कस्वासांभर	पटवार मण्डल :सांभरलेक	भू.अ.नि.वृत्त:सांभरलेक	तहसील:फुलेरा	जिला:जयपुर
नामांतरकरण का प्रकार : सर्म्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :2802 16/12/2025	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2072-2075		
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :0 शास्ति : 0		

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2605/1323	1.4629	बारानी 4	1.45	1.) मनसुख रियल्टी हिस्सा- पूर्ण जाति- N/A सा. प्लाट नम्बर 1, द्वितीय तल, ज्ञान विहार डी. सी. एम. अजमेर रोड जयपुर खातेदार --बदस्तूर खसरा--	358	1.) नगरपालिका मण्डल सांभरलेक हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए --बदस्तूर खसरा--	2605/1323	1.4629	आवासीय	0.00
खाता : 103		कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 1.5388		कुल काश्तकार : 1	खाता : 358	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 219		कुल क्षेत्रफल: 91.9791	

खातों का विवरण:-

खाता : 103	कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 1.5388	कुल काश्तकार : 1	खाता : 103	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.0759
				खाता : 358	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 219	कुल क्षेत्रफल : 91.9791

पटवारी की रिपोर्ट :श्रीमानजी मुताबिक समर्पण पत्र व आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी का नाम NEMI CHAND
दिनांक 12/17/2025 6:43:41 PM

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट :
sweekrt

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम SRISHTI JAIN
दिनांक 12/19/2025 2:52:38 PM